## बिहार सरकार
## सामान्य प्रशासन विभाग

### — :: आदेश ::—

**आदेश संख्या–11/आ0नी0–I–02/2018 सा0प्र0..............पटना–15, दिनांक–....................**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस0एल0पी0 संख्या–30621/2011, जरनैल सिंह केस एवं अन्य सम्बद्ध वाद में क्रमशः दिनांक–17.05.2018 एवं 15.06.2018 तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक–15.06.2018 में दिये गए परामर्श के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या–9706 दिनांक–20.07.2018 द्वारा राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार के द्वारा दायर सिविल अपील संख्या–4880/2017, राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश के फलाफल के अधीन आरक्षण का लाभ अनुमान्य कराने का निर्णय लिया गया था।

**2.** उपर्युक्त संकल्प संख्या–9706 दिनांक–20.07.2018 के प्रावधानों के विरूद्ध क्रमशः एम0जे0सी0 संख्या–2847/2018, अरविन्द कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, एम0जे0सी0 संख्या–2969/2018, गिरीश नन्दन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य तथा सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या–14907/2018, योगेश्वर पाण्डेय एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य वाद माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर किये गए। उपर्युक्त वादों की सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–01.04.2019 को आदेश पारित किया गया है।

**3.** माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपर्युक्त वादों में पारित आदेश दिनांक–01.04.2019 के आलोक में विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों पर दी जाने वाली सभी प्रोन्नतियाँ एवं प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक की कार्रवाई अगले आदेश तक स्थगित रहेंगी।

**4.** सभी विभाग (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) इस आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे।

**5.** यह आदेश ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 आदि के मामले में लागू नहीं होगा।

**6.** यह आदेश तुरत प्रभावी होगा।

ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

**ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–02/2018 सा0प्र0..................पटना–15, दिनांक–..........................**

**प्रतिलिपि**–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारवाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के अपर सचिव।

FILE PATH-D/ABHINEET SHYAM – HINDI LETEER

**ज्ञापांक–11/आ0नी0–I–02/2018 सा0प्र0**..5066...........**पटना–15, दिनांक–**.....11-04-2019

**प्रतिलिपि**–महालेखाकार, बिहार पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना/सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना/उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा, पटना/सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों/स्थानीय निकायों/निगमों/लोक सेवा उपक्रमों/पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

11/4/19

सरकार के अपर सचिव।